



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केंद्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cccochoin@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2397885

फा.सं. II/ 39/ 21/ 2012-हिन्दी /के.उ.शु.

दिनांक/Dated: 29.02.2020

### परिपत्र / C I R C U L A R

विषय : विभागीय पत्रिका 'कैरली' का प्रकाशन - संबन्धित ।

Sub: Publication of the Departmental Magazine "KAIRALI" - Reg.

\*\*\*\*\*

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि, केंद्रीय राजस्व भवन, आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन -18 की गृह पत्रिका "कैरली" का अगला अंक मई, 2020 में प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है । केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि उक्त पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की स्वरचित हिन्दी, अंग्रेजी तथा मलयालम रचनाएं जल्द से जल्द अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दें।

The next edition of the Departmental Magazine "KAIRALI" of the Commissionerate of Central Tax & Central Excise, Kochi, C.R. Building, I.S. Press Road, Cochin-18 is proposed to be published in May, 2020. All Officers and Employees working in Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are requested to send articles in Hindi, English or in Malayalam written by them or by their family members, suitable for publication, to the undersigned.

विभागीय गृह पत्रिका "कैरली" में तीन भाषाएं यानी हिन्दी, मलयालम तथा अंग्रेजी में समग्रियाँ प्रकाशित की जाएंगी । केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी मण्डल कार्यालयों और अनुभागों के प्रमुखों से अनुरोध है कि कृपया इसका व्यापक प्रचार करें। रचनाएं तथा प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियाँ 31.03.2020 तक स्वीकार की जाएँगी ।

The House Magazine will be published in 3 languages i.e., in Hindi, English and Malayalam. All Divisional Heads/ Section Heads of Central Tax & Central Excise, Kochi are requested to circulate this circular in their respective section to give wide publicity regarding the matter. The articles will be received up to 31.03.2020.

(राजेश्वरी आर. नायर/RAJESHWARI R. NAIR)

संयुक्त आयुक्त(का व सत.)

JOINT COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है / Copy submitted to:

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र  
The Chief Commissioner, Central Tax & Central Excise & Customs,  
Thiruvananthapuram Zone.

2. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि -18  
The Pr.Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi-18
3. अपर आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र  
Additional Commissioner, CCO Thiruvananthapuram Zone  
प्रतिलिपि /Copy to:
4. सभी संयुक्त /उप/ सहायक आयुक्त, मुख्यालय /मंडल कार्यालय, कोच्चि  
All Joint/Deputy / Asst. Commissioners in the Hqrs./ Divisions, Kochi.
5. सभी अनुभाग/ मंडल कार्यालय / रेंज कार्यालय, कोच्चि  
All Sections in Hqrs./ Divisions/ Ranges, Kochi.